अति–आवश्यक/स्मरण पत्र–II

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/सामान्य/प–10/2013/503 दिनांक : 27/11/2013

1. समस्त प्रधानाचार्य, मेड़िकल कॉलेज, राजस्थान/R.F.P.T.C. जयपुर, अजमेर/K.N.T.B.D. अजमेर।
2. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय वर्ग, राजस्थान।
3. निदेशक (ESI), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राजस्थान जयपुर।
5. औषधि नियंत्रक प्रथम/द्वितीय, औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर।

विषय : वर्ष 2014–2015 (02.04.2014 से 01.04.2015) में सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित अधिकारियों की सूची भिजवाने बाबत।

सन्दर्भ : निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 439 दिनांक 23.10.13, 484 दिनांक 12.11.13 एवं शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक पं020(9)चिस्वा/ ग्रुप–2/2011 जयपुर, दिनांक 22.11.13 प्राप्ति दिनांक 27.11.13

——: :——: :——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्रों द्वारा आपके अधीन कार्यरत एवं संबंधित जिलों मे कार्यरत चिकित्सा अधिकारी जो वर्ष 2014–2015 (02.04.2014 से 01.04.2015) में सेवानिवृत्त होंगें, इनकी सर्विस बुक के प्रथम चार (04) पृष्ठों की सत्यापित प्रतियां संलग्न कर भिजवाने हेतु लिख गया था जो आपके स्तर आज दिनांक तक अपेक्षित है।

क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 14.11.13 से "राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम–2011" लागू किया गया है। अतः **राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन नियम) 1996 में पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति से 06 माह पूर्व तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाने का दायित्व संबंधित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष का है, किन्तु आप द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों की सूची आज दिनांक तक अधो–हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रेषित नहीं की गई है।**

अतः उक्त सूचना आज ही निम्न प्रपत्र में अधो–हस्ताक्षरकर्त्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति आदेश जारी करवाये जाने की कार्यवाही की जा सके।

–: प्रपत्र:–

क्र. सं.	राजपत्रित अधिकारी का नाम	पदनाम एवं स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	विभागीय जांच की स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

पत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/सामान्य/प–10/2013/503 दिनांक : 27/11/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक पं020(9)चिस्वा/ ग्रुप–2/2011 जयपुर, दिनांक 22.11.13 प्राप्ति दिनांक 27.11.13 के क्रम में।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय निवारण केन्द्र, राजस्थान।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वैबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।